

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 757

दिनांक 02/04/2024

प्रार्थीगण :-

- 1.छगनाराम 2.दलपतकुमार 3.धर्माराम
- 4.सालूराम 5.सीताराम 5.चन्द्रप्रकाश पि. माना
- 7.हाजरी पत्नि माना, जातियान मेघवाल
- निवासी इब्रे का तला तहसील धनाऊ

विप्रार्थीगण:-

- 1.गागन पुत्र सुगला के का.मु. :- 1/1 डूंगराराम 1/2. मोहनराम 1/3.राजाराम 1/4.किरपाराम 1/5.पपूराम
- 2.दयाराम पुत्र धारा 3.देयचन्द्रराम पुत्र जलालराम 4.वीजा पुत्र पूरा, जातियान मेघवाल, निवासी मीठे का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 242/2023

दिनांक : 02.04.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र मीठे का तला के मौजा मंदिरवाला डेर के खेत खसरा सं. 833/483 रकबा 02.4281 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 758 70761

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी छगनाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण गागन के का.मु. वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 02/04/2024

(सूरजभान विश्वाइ)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन